30 मार्च, 2010 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 68 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 68 वीं बैठक 30 मार्च 2010 को दोपहर बाद 2.30 बजे बोर्ड के कोच्ची के मुख्यालय में संपन्न हुई ।

श्री. वी.जे कुरियन, भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री पी.टी. थॉमस, सांसद(लो.स.)
2. श्री अनंतकुमार हेगडे, सांसद(लो.स.)
3. डॉ. विजू जेकब, उपाध्यक्ष
4. श्री मंगत राम शर्मा
5. श्रीमती सुतपा मजूंदार
6. श्री रोय के. पाउलोस
7. श्री जोस कोंपनतोट्टम
8. श्री जी. मुरलीधरन
9. श्री अबुल कलाम
10. श्री जोजो जोर्ज
11. श्री जोर्ज वैली
12. श्री माथवन
13. श्री अजय जे. मारिवाला
14. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
15. श्री फिलिप कुरुविला
16. श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति - छुट्टी प्रदान की गई :
1. श्री तिरुच्चिशिवा, सांसद(रा.स)
2. श्री एस.अहम्मद
3. डॉ. वी. प्रकाश
4. डॉ. वी.ए. पार्थसारथी
5. श्री. एन. सी. साहा
6. श्री वी.डी. आलम
7. डॉ.एन. मुरुगेशन
8. श्री के.सी. प्रधान

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :-
1. सचिव, कृषि, केरल सरकार
2. सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि
3. श्री राजेन्द्र पी. गोखले

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-
1. श्री एस. कण्णन, निदेशक(विपणन) व सचिव
2. डॉ. चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक(वित्त)
3. डॉ. थॉमस, निदेशक(अनुसंधान)
4. श्री. एच.एस. श्रीनिवासा, निदेशक(विकास)

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया और पहली बार बैठक में उपस्थित श्री अनंत कुमार हेगडे, आदरणीय सांसद(लोकसभा), श्री मंगत राम शर्मा, निदेशक(बागान), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा श्रीमती सुतपा मजूंदार, निदेशक(आई.ई), योजना आयोग जैसे सदस्यों को परिचित कराया । कार्यसूची पर टिप्पणी चर्चा केलिए ली गई ।

मद सं 1 : 15.1.2010 को संपन्न बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

पुष्टि की गई।

मद सं.2 : 15.1.2010 को संपन्न 67 वीं बोर्ड-बैठक पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

श्री. एस.कण्णन, सचिव ने 15.1.2010 को संपन्न बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाइयों के बारे में संक्षेप में बताया । वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 केलिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता बतौर पुरस्कारों के वितरण के संबंध में यह सूचित किया गया कि यह कार्यक्रम 9 अप्रैल, 2010 को नियत किया गया है और कोचिन में आयोजित हो रहे इस समारोह में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया ।

कर्नाटक में कालीमिर्च के विकास केलिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 30 मार्च 2010 को संपन्न बोर्ड की बैठक के बाद श्री अनंत कुमार हेगडे, श्री अबुल कलाम एवं निदेशक(विकास) चर्चा करेंगे और राज्य बागवानी मिशन के ज़रिए सरकार को अनुमोदनार्थ भेजने केलिए प्रस्ताव का विस्तृत ढाँचा तैयार करेंगे ।

मद सं.3 : विश्व मसाला काँग्रेस, 2010

निदेशक(विपणन) ने संक्षेप में बताया कि नई दिल्ली में 3-5 फरवरी, 2010 के दौरान संपन्न दसवीं विश्व मसाला काँग्रेस में विदेश एवं स्वदेश दोनों से भागीदारों की संख्या में सार्वकालिक रिकार्ड दर्ज किया गया । यह भी बताया गया कि लघु और मध्यम स्तर के निर्यातक को विश्व मसाला काँग्रेस द्वारा फायदा मिला ।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने काँग्रेस के शानदार आयोजन केलिए स्पाइसेस बोर्ड को बधाई दी । बिज़नेस सत्र के भाषण और चर्चाएं भी कम समयावधि में अपलोड की गई । उन्होंने अगली विश्व मसाला काँग्रेस का स्थान घोषित करने की इच्छा प्रकट की ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी कि हम विश्व मसाला काँग्रेस के खर्च के अनुमोदन केलिए एक बैठक जल्दी ही आयोजित करेंगे जिसमें अगला स्थान तय कर सकते हैं ।

श्री जी. मुरलीधरन ने आह्वान किया कि विश्व मसाला काँग्रेस में प्रतिभागियों के रूप में कृषकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे अध्यक्ष महोदय सहमत हो गए ।

मद सं.4: वर्ष 2009-10 केलिए बजट आबंटन और 2010-11 केलिए आकलन

श्री मंगत राम शर्मा, निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया कि प्लान के अधीन वर्ष 2010-11 केलिए बजट आबंटन 85.00 करोड रु. है जो पिछले साल के आबंटन से 40-50% ज्यादा है और अन्य संगठनों की तुलना में 30-35% वृद्धि है ।

श्री एस.कण्णन ने निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि योजनावधि के आरंभिक तीन वर्षों केलिए कुल आबंटन ग्यारहवीं प्लान अवधि के 442.86 करोड रुपयों के अनुमोदन की तुलना में बहुत कम है । श्री मंगत राम शर्मा ने आश्वासन दिया कि संशोधित आकलन के दौरान अधिक निधियों की अपेक्षा पर विचार किया जाएगा ।

श्रीमती सुतपा मजूंदार ने भी वर्द्धित आबंटन की ज़रूरत का समर्थन किया चूँकि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा बहुत-से कार्यकलाप चलाए जाते हैं ।

श्री फिलिप कुरुविळा ने 30 मार्च 2010 सुबह को नाशकजीव अवशेष मामलों पर संपन्न निर्यातक-बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्यातोन्मुख विपणन एकीकरण कार्यक्रम केलिए वर्द्धित बजट आबंटन की माँग की ।

मद सं.5 : वर्ष 2009-10 केलिए छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

डॉ. जे. थॉमस, निदेशक(अनुसंधान) ने पुरस्कार विजेताओं को चुनने केलिए अपनाई जानेवाली प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की । क्षेत्र अधिकारी इलायची कृषकों से आवेदन आमन्त्रित करते हैं जो छानबीन केलिए मुख्यालय भेजे जाते हैं । खास वित्तीय वर्ष केलिए उत्पादकता का मूल्यांकन किया जाता है । बोर्ड पुरस्कार प्रदान करते हुए महिला इलायची कृषकों को भी प्रोत्साहित करता है ।

चर्चा में भाग लेते हुए श्रीमती सुतपा मजूंदार ने इलायची की राष्ट्रीय औसतन उत्पादकता एवं पुरस्कार विजेताओं द्वारा उच्च लब्धि के कारण के बारे में पूछताछ की । यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादकता उर्वरक, पानी एवं जलवायवी स्थितियां जैसे कई इनपुटों पर निर्भर करती है और पुरस्कार विजेता उच्चतर उत्पादकता केलिए भारी रकम खर्च करते हैं ।

श्री अनंतकुमार हेगडे ने पूछताछ की कि इलायची केलिए कोई विपणि हस्तक्षेप योजना है या नहीं । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वर्तमान में विपणि हस्तक्षेप केलिए कोई योजना चालू नहीं है लेकिन बोर्ड ने आसियान फ्री ट्रेड करार के आलोक में कालीमिर्च केलिए मूल्य स्थिरीकरण निधि केलिए सरकार से अनुरोध किया है ।

बोर्ड ने कार्यसूची पर टिप्पणी में प्रस्तावितानुसार पुरस्कार विजेताओं का अनुमोदन किया ।

मद सं.6 : वर्ष 2009-10 केलिए बडी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

बडी इलायची केलिए भी समान कार्यप्रणाली अपनाई जाती है । बोर्ड ने कार्यसूची पर टिप्पणी में प्रस्तावितानुसार पुरस्कार विजेताओं का अनुमोदन किया ।

मद सं.7 : वर्ष 2009-10 केलिए वैनिला उत्पादकता पुरस्कार

बोर्ड ने पुरस्कार विजेताओं का अनुमोदन किया जैसेकि कार्यसूची पर टिप्पणी में प्रस्तावित है ।

मद सं.8 :बोर्ड की बागान श्रम कल्याण योजना - वर्ष 2010-11 के दौरान योजना को चालू रखना

सदस्यों ने शैक्षिक संस्थाओं एवं लाभग्राहियों की चयन-प्रणाली के बारे में पूछताछ की । तदनुसार निदेशक(अनुसंधान) ने व्याख्या की कि समिति सहायता केलिए शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की छानबीन करती है और सहायता - अनुदान प्रदान करने में पेय जल सुविधा, शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने एवं बालिका-संस्थाओं को वरीयता दी जाती है ।

बोर्ड ने वर्ष 2010-11 के दौरान, इलायची संपदा के कामगारों के बच्चों को वजीफा एवं शैक्षिक/चिकित्सा-संस्थाओं को सहायता-अनुदान के अधीन प्रत्येक पाँच लाख रुपए की राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं.9 : मसाला पार्कों की स्थापना संबन्धी स्टैटस नोट

निदेशक (विपणन) ने शिवगंगा, जोधपुर, झालावाड, छिन्दवाडा, मेहसाना एवं गुण्टूर में मसाला पार्कों की स्थापना की स्थिति व्यक्त की । झालावाड के संबंध में, यह सूचित किया गया कि स्पाइसेस बोर्ड बेहतर पादप सामग्री की आपूर्ति केलिए पौधशाला की स्थापना एवं चयनित बीजीय

मसालों की जैव खेती के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है और प्रस्ताव केलिए मंत्रालय के समर्थन का अनुरोध किया है । श्री मंगत राम शर्मा ने पौधशाला एवं प्रदर्शन खण्ड की स्थापना में स्पाइसेस बोर्ड की भूमिका के बारे में पूछा । अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि बहुत अधिक काम राजस्थान सरकार की ओर से किया जाना है । सडक, पानी और बिजली जैसी आम संरचना केलिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है । श्री मंगत राम शर्मा ने सुझाया कि क्षेत्र का विस्तृत विवरण, जहाँ स्पाइसेस बोर्ड को राजस्थान सरकार से सहायता आवश्यक है, देते हुए प्रस्ताव भेजें ताकि सरकारी स्तर पर इसको लिया जा सके ।

मद सं.10: केरल के पुट्टडी के मसाला पार्क की प्रगति

यह सूचित किया गया कि केरल के पुट्टडी की मसाला पार्क परियोजना प्राय : पूरी हो गई है और यह उद्घाटन केलिए तैयार है । बोर्ड उद्घाटनार्थ केन्द्रीय मंत्री से तारीख तय कराने की कोशिश में है । श्री पी.टी. थॉमस, आदरणीय सांसद ने सूचित किया कि पार्क के उद्घाटनार्थ मंत्री महोदय से तारीख तय कराने की वे कोशिश करेंगे ।

श्री जी. मुरलीधरन ने सूचित किया कि फिलहाल केरल की विधान-सभा में इडुक्की जिले के पच्चडी के मसाला पार्क और इस प्रयोजनार्थ स्पाइसेस बोर्ड को ज़मीन के आबंटन के बारे में चर्चा हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय का स्वागत किया और पार्क की स्थापना केलिए केरल सरकार को बोर्ड के सहयोग का प्रस्ताव किया ।

मद सं.11 : गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं(गु.मू.प्र.) की स्थापना पर स्टैटस नोट

निदेशक(विपणन) ने गुण्टूर, नई दिल्ली, तूत्तुकोरिन, चेन्नई, कोलकत्ता और कण्डला में गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना और मुंबई प्रयोगशाला के विस्तारण-कार्य की स्थिति स्पष्ट की ।

सदस्यों के एक सवाल के जवाब बतौर यह जानकारी दी गई कि वर्तमान तौर पर औसतन, मुंबई में 55 नमूने और कोचिन में 150 नमूने रोज़ विविध पैरामीटरों केलिए विश्लेषित किए जाते हैं । मुंबई प्रयोगशाला में वर्तमान सुविधा को और बढाने पर अन्य पैरामीटरों की भी गुणवत्ता-जाँच की जा सकती है । श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने पूछा कि क्या उपलब्ध नमूनों के गुणवत्ता-विश्लेषण संबंधी दित्ते निर्यात केलिए ही नहीं बल्कि घरेलू विपणि केलिए भी उद्दिष्ट मसाले उत्पादों के गुणवत्ता-पहलुओं को सुधारने केलिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि अधिकतर नमूनों का विश्लेषण सुडान डाई तथा एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी केलिए किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि सुडान डाई से संदूषित पाए गए ढेर को बोर्ड के अधिकारियों की हाज़िरी में ही नष्ट किया जाता है । उन्होंने निर्यात उद्देश्य के अलावा घरेलू उपयोग केलिए भी मसाला उत्पादों के गुणवत्ता उन्नयन केलिए आंकडों का उपयोग करने के सुझाव का स्वागत किया । यह भी सूचित किया कि बोर्ड नाशकजीवनाशी अवशेषों के विश्लेषण केलिए किसानों से नमूने एकत्रित करने की प्रक्रिया में है और परिणामों को देश में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता सुधार केलिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु अन्य विभागों के साथ बाँटा जा सकता है ।

श्री. फिलिप कुरुविला ने कहा कि सभी निर्यातक इस पर गर्व का अनुभव कर रहे है कि देश के विभिन्न भागों में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ खोली जा रही हैं। गुण्टूर की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, आंध्रप्रदेश से निर्यात को बढावा देने में काफी हद तक सहायक सिद्ध होगी । उन्होंने यह भी जोडा कि स्पाइसेस बोर्ड हम सब की ओर से वाकई सराहना के पात्र है ।

कोलकत्ता की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला केलिए ज़मीन आबंटन के संबन्ध में यह सूचित किया गया कि अपेक्षित पैसे चुकाने पर भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी तक हमें ज़मीन आबंटित नहीं की गई है ।

कण्डला पत्तन न्यास द्वारा स्पाइसेस बोर्ड केलिए ज़मीन आबंटित करने का मामला उनके बोर्ड के विचाराधीन है और जल्दी ही अनुमोदित होने की उम्मीद है । उसके बाद बोर्ड, ए एस आई डी ई के अधीन प्रस्ताव की मंजूरी केलिए भारत सरकार से अनुरोध करेगा ।

मद सं.12 : कोचिन में स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का कार्य नए मकान में प्रारंभ

यह सूचित किया गया कि 16.3.2010 से कोचिन स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का कार्य अपनी सभी सुविधाओं के साथ नए मकान में प्रारंभ हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को नई प्रयोगशाला देखने केलिए आमंत्रित किया । डॉ. विजू ज़ेकब ने सूचित किया कि उन्होंने प्रयोगशाला देखी है और यह बढिया है और यूरोपीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध मानकों के समतुल्य है

मद सं.13 :गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों की स्थिति

बोर्ड ने विश्लेषित व प्रमाणित नमूनों की स्थिति नोट की ।

मद सं.14 : अप्रैल-फरवरी 2009-10 के दौरान भारत से मसाला निर्यात

निदेशक(विपणन) ने अप्रैल 2009-फरवरी 2010 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान के निष्पादन के साथ तुलना करते हुए मसालों के निर्यात निष्पादन का विवरण दिया । समान अवधि के निष्पादन की तुलना में निर्यात में डोलर मूल्य व मात्रा में थोडी गिरावट आई है, फिर भी इस मार्च तक इससे बचने की हमें उम्मीद है ।

बोर्ड ने विभिन्न जिन्सों के निर्यात निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की । इलायची निर्यात ने अत्यंत बढिया निष्पादन किया है और इसका मुख्य कारण ग्वाट्टिमाला में हुई फसल खराबी था । छोटी इलायची का दाम भी बहुत अच्छा है जो आजकल 1,000/- रुपए प्रति कि.ग्रा. पार कर चुका है ।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने पूछा कि क्या बोर्ड को हल्दी विपणि में जो हो रहा है उससे संबंन्धित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । हल्दी का मूल्य काफी बढ गया है । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हल्दी के मूल्य में हुई वृद्धि के बारे में कोई अभ्यावेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री. पी.टी. थॉमस ने अपेक्षा की कि बोर्ड को मसालों के जी.आई. रजिंस्ट्रीकरण केलिए पहल करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड ने पहले ही मलबार कालीमिर्च, एलप्पी ग्रीन कार्डमम् तथा कूर्ग ग्रीन कार्डमम केलिए जी.आई रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है । ब्यादगी मिर्च तथा गुंटूर सन्नम मिर्च केलिए जी. आई. रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन जी.आई. प्राधिकरण् के पास लंबित है । बोर्ड ईरोड हल्दी, तेज़पुर मिर्च आदि केलिए भी जी.आई. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है ।

विश्व बाज़ार में इलायची में भारतीय हिस्से के संबन्ध में श्रीमती सुतपा मजूंदार के सवाल पर यह सूचित किया गया कि भारत में उत्पादन लगभग 12,000 मेट्रिक टन है जबकि ग्वाट्टिमाला में यह लगभग 30,000 मेट्रिक टन है । अगर ग्वाट्टिमाला में फसल हानि होती है तो भारतीय इलायची केलिए विंपणि व मूल्य बेहतर होगा । केरल व कर्नाटक छोटी इलायची के सबसे बडे उत्पादक के रूप में कायम रहे । फिलहाल के बेहतर मूल्य से हमारे किसान खुश हैं । नीलाम केलिए भी भारी मात्रा में इलायची लायी गयी ।

श्री अनन्तकुमार हेगडे जानना चाहा कि क्या बोर्ड ने उत्पादन, घरेलू उपभोग व विपणि स्थिति पर ऐसा कोई अध्ययन, खासकर जब हल्दी केलिए भारी विपणि है, किया है ? अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि राज्य बागवानी व कृषि विभाग के अधिकारियों, प्रमुख निर्यातकों, कृषि विश्वविद्यालयों, मसालों की प्रत्येक मद के लिए कृषकों व व्यापारियों को मिलाकर कृत्यक बल

समितियों का गठन किया गया है जो उत्पादन व निर्यात अनुमान सहित सभी प्रमुख मसलों का निपटान कर रही हैं । हमें प्रत्येक राज्य से उत्पादन, मूल्य आदि के बारे में क्षेत्र आंकडे भी मिल रहे हैं ।

बोर्ड ने अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 तक की अवधि केलिए निर्यात आंकडे नोट किए ।

मद सं. 15 : अप्रैल-फरवरी 2009-10 के दौरान भारत में मसालों के आयात की समीक्षा।

चर्चा के दौरान, यह व्यक्त किया गया कि भारत में मसालों का आयात अप्रैल 2009 - फरवरी 2010 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 78,840 मे.ट से 96,145 मे.ट. में बढ गया है । मसालों का आयात मुख्यतः मूल्य योजन व पुनःनिर्यात केलिए किया गया है । डॉ. विजू जेकब ने बताया कि मसाला उद्योग सार निचोड व पुनःनिर्यात केलिए चीन से पैप्रिका का आयात कर रहा है । चीन भारत केलिए एक प्रमुख प्रतियोगी बनता जा रहा है । श्री पी.टी. थॉमस ने मसालों के आयात की बढती मात्रा की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने बोर्ड को मूल्य योजन व निर्यात केलिए देशी मसालों के अधिक उपयोग करनेवाले निर्यातकों केलिए एक प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव केलिए सुझाया । किसानों को बेहतर दाम मिलने में यह मददगार होगी क्योंकि यह अक्सर पाया गया है कि कटाई के समय कालीमिर्च का दाम घरेलू विपणि में गिर जाता है और बढते दाम का लाभ किसानों को नहीं मिलता । किसान बढती मज़दूरी तथा मज़दूरों की भारी कमी के कारण तकलीफ का सामना कर रहे हैं । स्पाइसेस बोर्ड भी कालीमिर्च को कुछ वर्षों केलिए वेयर हाउसों में रखने के बारे में विचार कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने सुझाव का स्वागत किया और सदस्यों की राय ली ।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने कहा कि वर्ष 2005-06 के दौरान कालीमिर्च के निर्यात केलिए परिवहन इमदाद देते हुए स्पाइसेस बोर्ड ने एक डब्ल्यू टी ओ संगत योजना लागू की थी और उस समय लाभग्राही सूची से ई ओ यू को निकाला गया था । श्री अजय मारीवाला ने कहा कि प्रोत्साहन व इमदाद देना केवल अल्पकालिक उपाय है और हमें उत्पादन व उत्पादकता बढाने के दीर्घकालीन लक्ष्य की ओर ध्यान देना है ताकि निर्यात योग्य अधिशेष उचित मूल्य में उपलब्ध होते रहे ।

श्री फिलिप कुरुविला की राय थी कि जब तक हम निर्यात योग्य अधिशेष की हालत को सृजन करेगा तब तक आयात बढेगा । हमारी विदेश विपणि हमारे हाथ से खिसक जाएगी अगर निर्यात नहीं बढाया गया । हम सार निचोड एवं प्रसंस्करण तथा पुनः निर्यात केलिए मसाला आयात कर रहे हैं । आज सारा संसार मूल्य योजित मसालों केलिए भारत की ओर देख रहा है क्योंकि हमारे पास सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधाएँ हैं ।

श्री अनन्तकुमार हेगडे ने बताया कि स्पाइसेस बोर्ड केवल इलायची उत्पादन विकास पर ही ध्यान दे रहा है । उन्होंने सुझाया कि स्पाइसेस बोर्ड के अधिदेश में इलायची के अलावा सभी मसालों के उत्पादन विकास और घरेलू विपणन जोडकर स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने की ज़रूरत है ।

श्री पी.टी. थॉमस ने वैनिला के गिरते दाम पर चिन्ता व्यक्त की । श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त ने बताया कि कुदरती वैनिलिन के उच्च मूल्य के कारण यूरोप व यू एस ए के कुदरती वैनिलिन उपभोक्ता कृत्रिम वैनिलन की ओर वापस जा रहे हैं ।

मद सं.16 : छोटी इलायची के केन्द्रीकृत व विकेन्द्रीकृत इ-नीलाम पर विस्तृत टिप्पणी

निदेशक(विपणन) ने बोर्ड द्वारा बोडिनायकन्नूर व वण्डनमेट्टु में इ-नीलाम केन्द्र स्थापित किए जाने की परिस्थिति का विवरण दिया । कृषक-हितों पर असर पडनेवाले दुरुपयोग व संभाव्य छलसाधनों के रिपोर्ट किए जाने के कारण ही छोटी इलायची में इ-नीलाम प्रणाली की शुरूआत पर विचार किया गया । यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों केन्द्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और अभी तक इस प्रणाली के संबन्ध में कोई शिकायत नहीं है । यह प्रणाली कृषकों को बेहतर मूल्य और स्पष्टता सुनिश्चित करती है । इ-नीलाम प्रणाली के अंतर्गत,विभिन्न नीलाम कंपनियों द्वारा उत्पादन केन्द्रों में प्रचालित किए जा रहे किसी भी संग्रहण केन्द्रों में अपना उत्पाद रखने का पूरा अधिकार कृषकों को है । यह नई प्रणाली किसी भी कृषक को किसी विशेष नीलाम या नीलामकर्त्ता केलिए उत्पाद लाने को बाध्य नहीं करती । इ-नीलाम केलिए अभी अधिक मात्रा में इलायची आ रही है । स्पाइसेस पार्क, पुट्टडी में पूरी सुविधाओंवाला एक इ-नीलाम केन्द्र आ रहा है । वहाँ पर नीलाम में भाग लेनेवाले किसानों केलिए पर्याप्त सुविधा होगी । पुट्टडी के इ-नीलाम केन्द्र में नीलाम प्रक्रिया देखने केलिए एल सी डी स्क्रीन की सुविधा तथा नीलाम केलिए एकत्रित किए गए अपने ढेरों पर अंतिम बोली लगाने केलिए सार्वजनिक उद्घोषणा सुविधा भी है । इ-नीलाम के प्रमुख लाभग्राही इलायची कृषक हैं । उद्योग के साथ सक्रिय सहयोग देनेवाले तीन कृषक संगठनों ने भी वर्तमान प्रणाली के साथ जारी रहने केलिए सहमत हो गए हैं । अधिकांश नीलामकर्त्ताओं ने भी अपने खुद के केन्द्रों की इ-नीलाम प्रणाली पर आपत्ति जताई है । जब केन्द्रीकृत इ-नीलाम प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इलायची उद्योग के किसी भी पणधारियों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसे विकेन्द्रीकृत प्रणाली में परिवर्तित करने का सवाल ही नहीं उठता ।

निजी क्षेत्रों में इलायची (छोटी) की विकेन्द्रीकृत नीलाम प्रणाली की माँग के उभर आने की स्थिति में, बोर्ड ने इस कार्यसूची मद पर विस्तृत चर्चा की थी ।

श्री. पी.टी. थॉमस ने श्री एस. कण्णन, निदेशक(विपणन) द्वारा जारी किए गए परिपत्र, दिनांक 29.8.2007 की ओर सदस्यों को ध्यान दिलाया और उन्होंने उसे पढ लिया, जिसमें यह बताया गया था कि *".....उपरोक्त के मद्देनजर, मेसर्स सी पी ए और एस टी सी एल को सलाह दी जाती है कि भावी नीलाम मात्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में ही करें । जबकि हम बाकी सारे इलायची नीलामकर्त्ताओं से इ-नीलाम प्रणाली में तब्दील होने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध करते हैं, वे भी, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, उनके अपने केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक नीलाम चलाने की अवसंरचना की स्थापना करने तक, उनके लिए आबंटित दिन को, बोडिनायकन्नूर के सी पी ए हॉल में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में नीलाम चलाने पर विचार कर सकते हैं ..... ।"* माननीय सांसद ने यह जानना चाहा कि अमुक परिपत्र में जो बताया गया है, उससे अब स्पाइसेस बोर्ड क्यों पीछे हट रहा है, और बोर्ड ने ऐसा एक परिपत्र क्यों जारी किया ?

इस पर, निदेशक(विपणन) ने सूचित किया कि इ-नीलाम प्रणाली पेश करते वक्त बोर्ड ने हरेक नीलामकर्त्ताओं से इ-नीलाम केन्द्र स्थापित करने को कहा था, लेकिन इ-नीलाम केन्द्रों पर खर्च करने केलिए कोई तैयार नहीं था । नई प्रणाली पर चर्चा की शुरूआत में, व्यापारी गण इसमें तत्पर नहीं थे और बताया गया कि वे ऐसी प्रणाली से परिचित नहीं है । इ-नीलाम प्रणाली स्थापित करने केलिए जब उपयुक्त जगह नहीं उपलब्ध था, तब अपने हॉल में इ-नीलाम चलाने के लिए पर्याप्त जगह देते हुए बोडिनायकन्नूर का सी पी ए स्पाइसेस बोर्ड की मदद करने केलिए आगे आया । व्यापारी लोग शुरू में इस प्रंणाली के खिलाफ थे, और एकाध मुकामों पर इन लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया है। निवेश और कृषकों की रुचि पर विचार करते हुए बोर्ड द्वारा स्थापित इ-नीलाम प्रणाली जारी रखी गई । लेकिन,सबको आश्चर्य चकित करते हुए व्यापारी और नीलामकर्त्ता दोनों ने पूरे दिल से नई प्रणाली अपनायी । स्पाइसेस बोर्ड ने जब बोडिनायकन्नूर में इ-नीलाम केन्द्र शुरू किया, तब केरल के कृषक लोगों ने भी यहाँ ऐसी एक प्रणाली शुरू करने की इच्छा की । वण्टनमेडु कई दशकों से इलायची व्यापार का प्रमुख केन्द्र रहा है और अतः हमने वहाँ एक और केन्द्र शुरू किया ।

जैसेकि श्री पी.टी थॉमस इस जवाब से खुश नहीं थे, अध्यक्ष महोदय ने हस्तक्षेप करके बताया कि नीलामकर्त्ताओं को अपने-अपने इ-नीलाम केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव अगस्त 2007 में, सरकारी निधियों से इ-नीलाम प्रणाली स्थापित करने के पहले दिया गया था । बोर्ड ने जब नीलामकर्त्ताओं से इ-नीलाम केन्द्र की स्थापना करने को कहा था, तब कोई भी यह जोखिम उठाने तथा इ-नीलाम केन्द्र में निवेश करने केलिए तैयार नहीं था । सरकार ने इ-नीलाम केन्द्र स्थापित करने का जोखिम उठाया और सामान्य अवसंरचनाओं की स्थापना केलिए 1.00 करोड रु. प्रदान किए । इ-नीलाम प्रणाली के तहत बोर्ड को कृषकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई,

जबकि व्यापारी लोगों ने नीलाम का बहिष्कार किया। स्पाइसेस बोर्ड ने व्यापारि नीलामकर्त्ताओं तथा कृषकों की एक बैठक बुलाई और हरेक से इ-नीलाम में भाग लेने का अनु किया । मेसर्स के सी पी एम सी और सी पी एम सी ने भी उक्त बैठक में भाग लिया था और इस केन्द्रीकृत नीलाम प्रणाली पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थीं। इन्होंने इ-नीलाम केन्द्र स्थापित क का कोई प्रस्ताव भी नहीं किया था । ऐसी स्थिति में, व्यापारी लोगों के अनुरोध के मुताबि अध्यक्ष महोदय ने भी उनको यह आश्वासन दिया था कि मई 2011 तक इ-नीलाम "ऑन-लाइ में नहीं होगा । लगभग दो साल तक सबकुछ निर्बाध रूप से चला । मेसर्स के सी पी एम 2009 में ही विकेन्द्रीकृत इ-नीलाम की नई माँग लेकर आया । असल में नीलाम केलिए इलायची की मात्रा में आई वृद्धि यह सिद्ध करती है कि यह प्रणाली बडे संतोषजनक रूप से च है । जैसेकि इ-नीलाम प्रणाली की स्थापना 1.00 करोड रु. के भारी निवेश के साथ की गई इसको विखण्डित करना और इसे बदलना कहीं न्याय संगत नहीं है । कुछ लोगों द्वारा अब नीलाम में निवेश करने के प्रति दर्शाई गई दिलचस्पी कृषकों के हित में शायद ही हो सकती है ।

श्री जोजो जोर्ज ने बताया कि इ-नीलाम प्रणाली को सब ने स्वीकार किया है और यह अच्छ तरह काम भी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है । नीलामकर्त्ताओं को नीलाम हेतु लाइ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दी जाती है । के सी पी एम सी ने 1986 में नीलाम शुरू किया और नीलाम अवसंरचनाओं केलिए 3.00 करोड या उससे अधिक खर्च किया है । इसलिए इ-नीलाम के स्थापित करने केलिए लगभग 1.00 करोड रु. का निवेश करना उनके लिए मुश्किल नहीं होग इस मामले पर अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से मिलकर स्पष्टीकरण देने और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी, इनमें किसी पर भी विचार नहीं किया गया । स्पाइसेस बैठक के कार्यवृत्त के उल्लेख के बारे में, श्री जोजो जोर्ज का विचार था कि बोर्ड बैठक के कार्यव में नीलामकर्त्ताओं के हितों को पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं किया गया था । विकेन्द्रीकरण की मु कमी, जैसेकि बैठक के कार्यवृत्त पर टिप्पणी में बताई गई है, नीलामकर्त्ताओं के बीच मौ असमानता है । नीलाम में समानता का कोई सवाल ही नहीं उठता । पुट्टडी के स्पाइसेस पार्क प्रदान की गई और प्रस्तावित सुविधाओं पर हमारा कोई विवाद भी नहीं है ।

श्री जोस कोम्पनात्तोट्टम,श्री जी. मुरलीधरन और श्री रोय के.पाउलोस ने भी केन्द्रीकृत इ-नील प्रणाली का समर्थन किया । उनके मतानुसार कोई भी कृषक संघ विकेन्द्रीकृत इ-नीलम प्रणाली समर्थन नहीं कर रहा है और वे वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट है ।

श्री पी.टी. थॉमस ने बताया कि हर कहीं विकेन्द्रीकरण चल रहा है, इ-नीलाम प्रणाली केन्द्रीकरण का कोई न्याय नहीं है । किसी को कहीं भी नीलाम शुरू करने की अनुमति दी जा उन्होंने इस मुद्दे पर उनके द्वारा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को भेजे गए पत्र व उसपर मंत्री

के जवाब का मसला मलयालम दैनिक 'देशाभिमानी' में प्रकाशित होने की बात पर अपना अ
प्रकट किया और उनका पूरा विश्वास है कि यह पत्र मंत्री महोदय के कार्यालय से नहीं
स्पाइसेस बोर्ड से ही माध्यमों को मिला है ।

श्री रोय के. पाउलोस ने कहा कि माननीय मंत्री महोदय को माननीय सांसद द्वारा भेजा ग
माध्यमों को प्राप्त होने की बात संतोषजनक नहीं हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है

श्री. जी . मुरलीधरन ने सूचित किया कि पिछली बोर्ड-बैठक के पहले श्री जोजो जॉर्ज उन
श्री पी.टी. थॉमस द्वारा मंत्री को भेजे गए पत्र सहित कुछ कागज़ात लेकर आए थे और
इ-नीलाम प्रणाली के विकेन्द्रीकरण की अपेक्षा का समर्थन करना चाहा । श्री जॉर्ज वैली ने भ
कि वे उनके पास भी आए थे । चूँकि माननीय सांसद के पत्र की प्रतियाँ कई लोगों के
परिचालित की गई थीं, ऐसे में माध्यमों को ऐसे किसी पत्र की प्रति प्राप्त हुई होगी । श्री
कोम्पनात्तोट्टम ने कहा कि उन्होंने भी श्री जोजो जोर्ज के पास उपर्युक्त पत्र देखा था ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि अब यह साफ हो गया है कि पत्र कहाँ से लीक हुआ
स्पाइसेस बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित कि
माननीय सासंद की माँग के कारण ही इ-नीलाम प्रणाली के गुण व अवगुणों पर टिप्पण
कार्यसूची के रूप में ली गई है ।

श्री फिलिप कुरुविला का मानना था कि सदस्य जो भी यहाँ बता रहे हैं वह किसी वैयक्ति
केलिए नहीं होना चाहिए । हम यहाँ पर मसाला कृषक, निर्यातक या अन्य मसाला संबन्धी
के हित केलिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वैयक्तिक मामलों को नहीं उठाना चाहिए ।

श्री मंगत राम शर्मा का मत था कि पुट्टडी में नए केन्द्रीकृत इ-नीलाम केन्द्र का उ
होनेवाला है, उसके निष्पादन केलिए हम थोडे और महीने इन्तज़ार करें और अगर कोई दि
गलती महसूस हुई तो उसे बाद में चर्चा करके निपटा सकते हैं ।

श्री पी.टी. थॉमस, सांसद ने कहा कि इ-नीलाम कोई भी कहीं भी चला सकते हैं । इस
केन्द्रीकृत रूप होने की आवश्यकता नहीं है । बोडिनायकन्नूर व वण्डनमेट्टु के अलावा ए
केन्द्र आने से कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि केन्द्रीकृत इ-नीलाम प्रणाली के कार्य के बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है । प्रमुख इलायची कृषक संगठनों ने इस प्रणाली को जारी रखने केलिए लिखित रूप से अपेक्षा की है । खासकर जब सरकार व स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही इस प्रणाली केलिए काफी प्रयास और निवेश किए हैं, इस प्रणाली को रुकवाने का कार्य अनुचित होगा । दो नीलामकर्त्ताओं को छोडकर इलायची नीलाम के अन्य किन्हीं भी पणधारियों ने वर्तमान प्रणाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की माँग नहीं की है । बोर्ड ने सभी पणधारियों के बीच आपसी बातचीत के ज़रिए सभी मसलों को सुलझाया है । बोर्ड ने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि मई,2011 तक इलायची में कोई ऑन-लाइन व्यापार नहीं होगा । सी एम सी, प्रमुख इलायची नीलामकर्त्ताओं में से एक का टूट जाना, किसानों व अन्य, जिन्होंने उनके हाथों दुःख भोगा है, के मन में आज भी होना चाहिए ।

श्री अजय मारिवाला ने कहा कि चूँकि इ-नीलाम केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण पर पक्ष और विपक्ष में बोर्ड के कई मत हैं , हम अध्यक्ष महोदय के निर्णय को महत्व देने का निर्णय लें ।

तदनुसार, बोर्ड ने छोटी इलायची की वर्तमान केन्द्रीकृत इ-नीलाम प्रणाली को ज़ारी रखने का निर्णय लिया ।

मद सं: 17 : स्पाइसेस बोर्ड में वर्तमान ए सी पी का संशोधन आशोधित आश्वासित करियर प्रगमन योजना (एम ए सी पी एस) से करने का प्रस्ताव

सचिव ने वर्तमान ए सी पी योजना तथा एम ए सी पी एस की विशेषताओं का विवरण दिया । वित्तीय विवक्षा तथा आगे के ब्यौरे का पूर्वाकलन करके मंत्रालय को यथासमय भेजा जा सकता है ।

बोर्ड ने सरकार के विचारार्थ वित्तीय विवक्षाओं सहित प्रस्ताव भेजने पर मंजूरी दी ।

सामान्य

शुष्कन यार्ड व सिलपॉलीन शीट योजनाएँ

श्री अबुल कलाम ने कर्नाटक राज्य में कालीमिर्च कृषकों के लाभार्थ सिलपॉलीन शीटों के वितरण व शुष्कन यार्डों के निर्माण का मुद्दा उठाया । हेगडे ने भी यह जानना चाहा कि यद्यपि सिलपॉलीन शीटों के वितरण और शुष्कन यार्डों के निर्माण के कार्यक्रम ग्यारहवीं प्लान योजनाओं में मंजूर किए गए हैं, कर्नाटक में यह कार्यक्रम क्यों कार्यान्वित नहीं है ।

निदेशक(विकास) ने सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड मिर्च/कालीमिर्च कृषकों केलिए शुष्कन यार्ड योजना अमल कर रहा था और 2009-10 के दौरान इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया । बोर्ड ब्यादगी मिर्च बढानेवाले इलाकों में मिर्च सुखाने केलिए सिलपॉलिन शीटों का वितरण कर रहा है । शुष्कन यार्ड के निर्माण की योजना कर्नाटक में कालीमिर्च केलिए अमल नहीं की गई है, चूँकि कॉफी बोर्ड समान योजना अमल कर रहा है, जहाँ कॉफी के साथ अन्तराफसल के रूप में कालीमिर्च बढाई जाती है, कर्नाटक के कालीमिर्च कृषक इससे फायदा उठा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सिलपॉलीन शीटों के वितरण की योजना अब सिर्फ मिर्च कृषकों केलिए अमल की जाती है ।

श्री अबुल कलाम और श्री अनन्तकुमार हेगडे ने कर्नाटक के कालीमिर्च कृषकों के हित में शुष्कन यार्ड योजना अमल करने और सिलपॉलीन के बदले एच् डी पी ई शीटों के वितरण की संभावना ढूँढ लेने पर ज़ोर दिया और अगले वर्ष से इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोंदय ने सूचित किया कि आन्ध्रप्रदेश में शुष्कन यार्ड योजना अमल करने के दौरान बोर्ड ने इसके दुरुपयोग के कई मामले नोट किए है और इसी कारणवश बोर्ड अब उक्त यह योजना नहीं अमल कर रहा है । अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर कोई अच्छी पाई जाती है तो कर्नाटक में यह योजना अमल करने के बारे में हम विचार कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद अदा करते हुए बैठक सायं 5.30 बजे समाप्त हुई ।

.....